



कार्यालय

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय
उत्तर प्रदेश–प्रयागराज



वन विभाग के प्रभागों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2021-22

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	4
2	संस्तुतियां	6
3	परिचयात्मक	8–10
4	मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब (अनुलग्नक—1 एवं 2)	12
5	लेखों का मिलान (अनुलग्नक—3 एवं 4)	13–14
6	मासिक रोकड़ लेखे में सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ (अनुलग्नक 5 से 8)	14–16
7	साठोनी से संबंधित एवं ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले (अनुलग्नक—9)	16–17
8	वन विभाग का वर्ष 2016–2017 से वर्ष 2021–22 का तुलनात्मक आय–व्ययक विवरण (अनुलग्नक—10) एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम—2016	18–19
9	अनुलग्नक 1–10	20–44

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग के प्रभागों की वर्ष 2021–22 के लेखों तथा कार्य प्रणाली की इस कार्यालय द्वारा की गयी समीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इस कार्यालय द्वारा वन विभाग के 124 प्रभागों एवं 77 कोषागारों से प्राप्त लेखों का संकलन किया जाता है। इस समीक्षा का उद्देश्य वन विभाग के लेखों के रख—रखाव में गुणवत्ता एवं शुद्धता में सुधार लाना है। इस हेतु लेखों के रख—रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीभूत किया गया है।

हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रस्तुत समीक्षा वन विभाग को और अधिक कार्यदक्ष बनाये रखने के साथ भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में प्रेरणादायी सिद्ध होगी। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में इंगित अनियमितताओं के सुधार हेतु वन विभाग को शासन स्तर से उचित निर्देश की भी अपेक्षा है।



(अधिकारी)
महालेखाकार

प्रयागराज
दिनांक : 17.03.2023

कार्यालय महालेखाकार (लो० एवं हक०)—II
उ०प्र०, प्रयागराज

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे में वन विभाग प्रभागों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आँकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय—समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में प्रभागों के लेखों के सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने चाहिए।

1. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-201 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखा शून्य होने की स्थिति में भी समस्त प्रपत्रों सहित लेखा प्रपत्र ई-7 पर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. शासनादेश सं0 बी-963 / दस-2001 दिनांक 16.04.2001 एवं संख्या बी-1-3706 / दस-2004 दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रभाग को करेत्तर राजस्व प्राप्तियों को राजस्व पक्ष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करना चाहिए।
4. इस कार्यालय परिपत्र सं0 व0स0प्र0 / म0लेखा/356 दिनांक 11.12.2002 में निर्धारित अवधि तक प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों का मिलान कराया जाना चाहिए।
5. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराना चाहिए।
6. पूर्व वर्षों के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– ।।, उ०प्र०, प्रयागराज



20, सरोजनी नायडू मार्ग

प्रयागराज–211001,

दूरभाष :- 0532 – 2622625, 2622628

वर्ष 2021–22 की वन विभाग के प्रभागों की कार्यप्रणाली पर समीक्षा :-

परिचयात्मक

वन विभाग की संरचना के अनुसार प्रधान प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख हैं तथा वन विभाग के मामलों में राज्य सरकार के प्रमुख तकनीकी सलाहकार हैं। इनकी संहायता के लिए प्रमुख वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्य योजना उ०प्र०, प्रमुख वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उ०प्र० ,प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उ०प्र० लखनऊ है इसके अतिरिक्त निम्न अपर प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक (प्रशासनिक इकाई के रूप में) हैं।


- (क) (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना अनुसंधान एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
(2) अपर मुख्य वन संरक्षक /निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान कानपुर।
(3) अपर प्रमुख वन संरक्षक /निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर।
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
(6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी उ०प्र० लखनऊ।
(7) अपर प्रमुख वन संरक्षक जैव विविधता उ०प्र०, लखनऊ।
(8) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेखा परीक्षक एवं गैर योजना।
(9) अपर प्रमुख वन संरक्षक आगरा क्षेत्र।
(10) अपर प्रमुख वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर लखनऊ।
(11) अपर प्रमुख वन संरक्षक जलागम प्रबन्धन / ग्रीन इण्डिया मिशन लखनऊ।

- (ख) (1) मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल।
(2) मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर मण्डल।
(3) मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल।
(4) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल।
(5) मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ।
(6) मुख्य वन संरक्षक रुहेल खण्ड क्षेत्र बरेली।
(7) मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।
(8) मुख्य वन संरक्षक दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज।
(9) मुख्य वन संरक्षक परिस्थितिकीय विकास लखनऊ।
(10) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव।
(11) मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी।
(12) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोणडा।
(13) मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी।
(14) मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर।
(15) मुख्य वन संरक्षक /वन वर्धनिक कानपुर।
(16) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक बरेली।
(17) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक वाराणसी।
(18) मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ।
(19) मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबन्ध लखनऊ।
(20) मुख्य वन संरक्षक नियोजन लखनऊ।
(21) मुख्य वन संरक्षक परियोजना ७०प्र० लखनऊ।
(22) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) लखनऊ।
(23) मुख्य वन संरक्षक प्रशासन ७०प्र० लखनऊ।
(24) मुख्य वन संरक्षक राज्य प्राणि उद्यान प्राधिकरण ७०प्र० लखनऊ।
(25) मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं लेखापरीक्षा लखनऊ।
(26) मुख्य वन संरक्षक कैम्पा लखनऊ।
(27) मुख्य वन संरक्षक भू-आभिलेख एवं बन्दोबस्त लखनऊ।
(28) मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं सतर्कता लखनऊ।
(29) मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) लखनऊ।


- (30) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ अराजपत्रित।
- (31) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ राजपत्रित।
- (32) मुख्य वन संरक्षक (प्रचार–प्रसार एवं जन सम्पर्क)।
- (33) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ।
- (34) मुख्य वन संरक्षक (नीति विश्लेषण एवं समन्वय) लखनऊ।
- (35) मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग अधिकारी, उत्पादन लखनऊ।
- (36) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) प्रयागराज।

इस प्रकार वन विभाग में 32 वृत्त एवं 92 प्रभागों सहित कुल 124 वृत्तों/प्रभागों से मासिक लेखे प्राप्त होते हैं।

कोषागार से प्राप्त मासिक लेखे (CCL) का फलो चार्ट



प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखे (DCL) का फलो चार्ट



वन एवं वन्य जीव विभाग में CCL प्रणाली का कोषागार प्रणाली में परिवर्तन

प्रदेश के वन एवं वन्य जीव विभाग में पूर्व मे अधिष्ठान मदों का संचालन कोषागार प्रणाली के माध्यम से तथा अधिष्ठान मदों से भिन्न कार्य मदों के व्यय CCL प्रणाली से आच्छादित थे। उ0प्र0शासन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 संख्या 1/2020/ए-2-118/दस 2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा 01.04.2020 से वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया तथा वन एवं वन्यजीव विभाग की जमा साख सीमा (DCL) की प्रक्रिया मे कोई परिवर्तन न करते हुये यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

वार्षिक समीक्षा का उद्देश्य –

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखे एवं कोषागार से प्राप्त उक्त विभाग के मासिक लेखे की समीक्षा कर उनमे व्याप्त विसंगतियों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर उचित सुधार हेतु कार्यालय स्तर पर प्रयत्न करना तथा संबन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों को व्याप्त विसंगतियों से अवगत कराना तथा सुधार हेतु आवश्यक प्रयत्न करना तथा प्रोत्साहित करना है।

वन विभाग की लेखाकार्य प्रणाली पर वर्ष 2021–22 की वार्षिक समीक्षा के मुख्य बिन्दु:-

1. (अ) मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब

वित्तीय हस्तपुरितका भाग-7 के पैरा 201 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षकों के मासिक लेखे अगले माह की 6 तारीख तक तथा उप वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशकों/प्रभागीय वनाधिकारियों के मासिक लेखे अगले माह की 10 तारीख तक तथा माह मार्च का लेखा 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा विलम्ब का कारण सूचित करना चाहिए। परन्तु समीक्षा में पाया गया कि विलम्ब के कारणों को किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया।

वर्ष 2021–22 में अधिकांश लेखों के प्राप्त होने में एक से दस दिनों का विलम्ब हुआ। दस दिन तक विलम्ब से प्राप्त होने वाले लेखों को विशेष प्रयास द्वारा उसी माह के लेखे मे सम्मिलित किया गया। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति अनुलग्नक-1 में दी गयी है।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रभागों के मासिक लेखे वित्तीय वर्ष में 4 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं स्थिति अनुलग्नक-2 में प्रदर्शित है।

(ब) लेखों का मिलान

शासनादेश सं0 ए-2-47/दस-97-10(9)95 दिनांक 03 मार्च 1997 से अधिष्ठान मदों के व्यय का संचालन कोषागार प्रणाली से आच्छादित किया गया एवं वन विभाग के कार्यमदों के व्यय को पूर्व की भाँति सी0सी0एल0 प्रणाली से ही किया जाता था। शासनादेश सं0-1/2020ए-2-118/10-2020-10(9)/95 दिनांक 18 मार्च 2020 के अनुसार अप्रैल-2020 से वन विभाग के कार्यमदों के व्यय का संचालन सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त करते हुए समस्त व्ययों का संचालन अन्य विभागों में प्रचलित ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली से आच्छादित कर दिया गया। इस प्रकार जमा साख सीमा के अन्तर्गत होने वाले व्यय के ऑकड़ों का मिलान प्रभागों द्वारा कराया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली के तहत किये जाने वाले व्यय के ऑकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(i.) जमा साख सीमा के अन्तर्गत व्यय के ऑकड़ों का मिलान :-

वन विभाग के समस्त वृत्त/प्रभागों द्वारा जमा साख सीमा के अन्तर्गत आय/व्यय के ऑकड़ों का मिलान इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोडेड ऑकड़ों से प्रत्येक तिमाही करने की प्रक्रिया निर्धारित है तथा ऑकड़ों के मिलान के उपरान्त किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को भिन्नता सम्बन्धी ऑकड़े पूर्ण साक्ष्य सहित अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से प्रेषित किये जाने चाहिए ताकि इस कार्यालय में भी अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से लेखे में सुधार किया जा सके एवं भिन्नता न होने की स्थिति में भी इस कार्यालय को व्यय के ऑकड़ों सहित मिलान किये जाने की सूचना प्रेषित करना चाहिए ताकि लेखा मिलान प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। किन्तु कई वनाधिकारियों द्वारा लेखों की भिन्नता/मिलान सम्बन्धी कोई टिप्पणी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी। स्थिति अनुलग्नक-3 में संलग्न है।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त वृत्त/प्रभागों के सम्बन्धित लेखाकारों /वरिष्ठ सहायकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि त्रैमासिक आधार पर इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड पुस्तांकित ऑकड़ों से विभागीय ऑकड़ों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलान करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में मिलान सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करें।

(ii.) कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त लेखों का मिलान :—

शासनादेश संख्या ए-2-47 / दस-97-10(9) 95 दिनांक 03.12.1997 से वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिष्ठान मदों एवं शासनादेश सं0-1/2020/ए-2-118/ दस-2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से कार्यमदों हेतु भी ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत उ0प्र0, बजट मैनुअल के प्रस्तर-124 के अनुसार कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखे कार्यालय महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित किये जायेंगे एवं महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से विभाग के आँकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। किन्तु वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या 60, 81, 83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2406, 2407, 4406 एवं प्राप्ति शीर्ष "0406" के आँकड़ों जो कि महोलखाकार कार्यालय की वेबसाइट <http://www.cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड है, से मिलान कर नियन्त्रक अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को सूचित नहीं किया गया। कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत व्यय/प्राप्ति मिलान न करायी गयी धनराशि का विवरण अनुलग्नक-4 में दर्शाया गया है।

2. मासिक रोकड़ लेखों में पाई गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

(अ) त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

मासिक रोकड़ लेखे एवं वर्गीकृत सार (क्लासीफाइड एब्सट्रैक्ट) में मुख्य लेखाशीर्ष से ऑफेक्ट हेड तक (15 अंको का पूर्ण लेखा शीर्ष अनुदान संख्या सहित) अंकित होना चाहिए, जिससे उनका लेखांकन बजट के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सके। वर्गीकृत सार के अंत में वर्गीकृत सारांश अंकित नहीं किया गया है।

समीक्षा में पाया गया है कि आहरण वितरण अधिकरियों द्वारा मासिक लेखों में पूर्ण वर्गीकरण एवं विवरण नहीं दिया जाता है तथा कहीं-कहीं पर अस्पष्ट विवरण के साथ त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण दिया जाता है। मासिक लेखा एवं उससे संबंधित सभी अभिलेखों पर पूर्ण विवरण एवं सम्पूर्ण वर्गीकरण अंकित किया जाना अपेक्षित है। विवरण अनुलग्नक-5 पर प्रदर्शित है।

(ब) सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

- मासिक लेखा तैयार करते समय इस कार्यालय द्वारा प्रखण्ड को आवंटित कोड संख्या (FRD CODE) भी अवश्य **BOLD Letters** में लिखा जाये।
- मासिक लेखे के साथ निम्नलिखित प्रपत्र (I) ई-6 (II) ई-11, (III) ई-13 (IV) ई-23 (V) ई-11(A), (VI) ई-14, (VII) ई-24 संलग्न नहीं किये जाते हैं।

3. मासिक लेखे के साथ प्रेषित प्रपत्र में अंकित विवरण का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित न होना।
4. वर्गीकृत सार में दिये विवरणों के अनुसार प्रमाणक संलग्न न होना।
5. वर्गीकृत सार में ए0जी0 प्रमाणक संख्या अंकित न होना।
6. वर्गीकृत सार में सारांश का विवरण अंकित न होना।
7. व्यय के सारांश के अन्त में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न न होना।
8. मासिक लेखा प्रपत्र ई–7 पर नहीं तैयार किया जाना।
9. माह के दौरान अनाहरित समायोजन (अस्वीकार चेक्स (टोकन) / चालान) का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित नहीं किया जाना।
10. वन प्रेषण (पार्ट–01) के अन्तर्गत जमा चालानों को सूची/चालान मासिक लेखे के साथ नहीं प्रेषित किया जाना।
11. प्रमाणकों के साथ संलग्न वाउचरों में जी0एस0टी0 संख्या नहीं दर्शाया जाना।
12. कुछ प्रभागों में करेत्तर मदों से प्राप्त राजस्व को राजस्व शीर्ष में न जमाकर वन जमा के अन्तर्गत लिया जाता है।
13. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) नहीं प्रेषित किये जाते हैं।

विवरण अनुलग्नक–6 पर दर्शित हैं।

(स) बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

(i) वन जमा बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष "8443" वन जमा के बृहत पत्र में विभिन्न प्रभागों में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक हैं जबकि वन जमा शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष नहीं होना चाहिए ऋणात्मक अवशेष के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागों से पत्राचार किया जा रहा है मासिक रोकड़ लेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि फार्म–E–11(A) का समेकित सार कुछ प्रभागों द्वारा नहीं प्रेषित किया जाता है जिससे माह के प्रारम्भ में लेखाशीर्ष "8443" का कुल प्रा0 अवशेष व माह के अन्त में कुल अन्तिम अवशेष ज्ञात नहीं हो पाता जिससे कि बृहत पत्र में दर्ज अवशेषों से मिलान किया जा सके। बृहत पत्र में ऋणात्मक अवशेषों का निराकरण किया जाना अपेक्षित है ऋणात्मक अवशेष वाले प्रभागों की सूची अनुलग्नक–7 पर प्रदर्शित है।

(ii) वन अग्रिम बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष 8550–00–101 वन अग्रिमों के बृहतपत्र में भी विभिन्न प्रभागों में वित्तीय वर्ष 2021–22 में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक हैं। जबकि वन अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जिन प्रभागों में वन अग्रिम के बृहतपत्र में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक

प्रदर्शित हो रहे हैं उन प्रभागों से पत्राचार किया जा रहा है एवं उन माहों के मासिक रोकड़ लेखों की द्वितीय प्रति मंगाई जा रही है। (जिन माहों से ब्रॉडशीट का अन्तिम शेष ऋणात्मक प्रारम्भ हुआ है) ताकि अन्तिम अवशेष ऋणात्मक होने के कारणों का पता कर उनका निराकरण किया जा सके। वन अग्रिम ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाले प्रभागों की सूची अनुलग्नक-8 पर प्रदर्शित है।

(iii) वन प्रेषण लेखाशीर्ष सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष 8782—नकद प्रेषण—00—103—वन प्रेषण—01 कोषागार में प्रेषण के अन्तर्गत डेबिट की जाती है जबकि यह धनराशि कोषागार के लेखे में क्रेडिट की जाती है इसी प्रकार प्रभागों के लेखे में लेखाशीर्ष 8782 नकद प्रेषण—00—103—वन प्रेषण—02 वन चेक्स/ई—टोकन के अन्तर्गत क्रेडिट की जाती है जबकि चेक्स/ई—टोकन की भुगतान की धनराशियों को कोषागार अपने लेखे में डेबिट करता है।

वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अनुसार कोषागारों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रत्येक माह के अनुगमी माह की चार तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (CTR) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर—650 एवं शासनादेश सं0 ए—2—1967/दस—सासी—83/14(6)/183 दिनांक 15.07.1983 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ई—पेमेन्ट प्रणाली लागू होने के पश्चात लेखाशीर्ष 8782 में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारित होने में प्रगति पायी गयी है। जबकि पूर्व की डेबिट एवं क्रेडिट दोनों ही पक्षों की धनराशियाँ अनिस्तारित पड़ी हुई हैं।

अतः उपरोक्त लेखाशीर्ष में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण सहित प्रत्येक मासिक लेखे के साथ (CTR) एवं (CTI) की प्रति संलग्न करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

3. वन विभाग से संबंधित सामान्य भविष्य निधि के विषयक:-

(अ) नये सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या का आवंटन :-

वर्ष 2021–22 में सामान्य भविष्य निधि में माह 04/2021 से 03/2022 तक कुल—87 नये कर्मचारियों / अधिकारियों को खाता संख्या आवंटित किया गया। ये अभिदाता वर्ष 2005 से पूर्व सेवा में आये हैं, तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के उपरान्त इन्हें साठ०भ०नि० खाता संख्या आवंटित किये गये हैं।

(ब) अंतिम भुगतान सामान्य भविष्य निधि के मामले :-

शासनादेश संख्या एस०ए०-४-ए०जी० ५७ / तीन-८४ दिनांक ५.१०.१९८४ के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आगामी एक वर्ष छः माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची महालेखाकार कार्यालय को भेजनी चाहिए तथा उनकी पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से कराना चाहिए। कुछ मामलों में पासबुक के मिलान की कार्यवाही सेवानिवृत्ति से पूर्व नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त अभिदाताओं की पासबुक में कॉलम तीन एवं चार में क्रमशः कोषागार वाउचर संख्या एवं दिनांक तथा वाउचर की धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जा रही है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा लिये गये आहरण / अग्रिम लेने अथवा नहीं लेने की दशा में स्पष्ट प्रविष्टि पासबुक के डेबिट कालम में की जानी चाहिए तथा उसका सत्यापन भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021–22 में अंतिम भुगतान के कुल 370 प्रकरण प्राप्त हुये जिसमें से सभी प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही के पश्चात निस्तारित किया गया।

(स) सा०भ०नि० से संबंधित ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले :-

शासनादेश संख्या जी०-४/ए०जी०/५७/तीन-८४५१०-८४ दिनांक २६.१२.८४ के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं की पासबुक का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से मिलान कराये बिना अभिदाताओं के खातों में जमा राशि का 90% भुगतान कर दिया गया तथा शेष 10% धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण भेजे गये हैं। वर्ष १९९१-९२ से २०२१-२२ तक शेष 19 प्रकरणों में अभी रु० २८००२१/- की वसूली होनी है जिसके लिये शासन स्तर एवं प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर पत्राचार किया गया है। अनुलग्नक-९ पर ऋणात्मक प्रकरणों की सूची प्रस्तुत है। संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को वसूली हेतु निर्देश निर्गत होना अपेक्षित है।

(द) चतुर्थ श्रेणी एवं भारतीय वन सेवा के अतिरिक्त वन विभाग के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन करने हेतु (जिनके खातों में अन्तर हो) पासबुक की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पत्राचार किया गया परन्तु विभाग द्वारा इस कार्य में कोई रुचि नहीं ली गयी। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश समस्त आहरण/वितरण अधिकारियों को जारी किये जाने की आवश्यकता है।

(च) प्रत्येक माह कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सा०भ०नि० खाता संख्या शिडयूल में गलत लिखे या अंकित नहीं होते हैं जिससे इन अभिदाताओं का मासिक अभिदान उनके सही खाते में अंकित नहीं हो पाता है तथा अनिस्तारित धनराशि पड़ी रहती हैं। सा०भ०नि० अंशदान की राशि अभिदाता के सही खाते में अंकित हो इस सम्बन्ध में आहरण/वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना अपेक्षित छें।

4. तुलनात्मक आय व्यय विवरण :—

वन एवं वन्य जीव विभाग का वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक तुलनात्मक आय–व्ययक विवरण अनुदान वार एवं मद वार तैयार किया गया तथा देखा गया कि अधिकांश मद मे विभाग द्वारा आवंटित बजट से कम व्यय किया गया है। तुलनात्मक आय–व्ययक विवरण अनुलग्नक–10 में संलग्न है।

5. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम—2016 :—

केन्द्रीय सरकार के प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम—2016 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात, राज्य निधि के प्रावधान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की गयी। जिसके पश्चात केन्द्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण के पास जमा राज्य के अंशदान की धनराशि का 90% सर्वप्रथम माह अगस्त 2019 में ₹0 18196267880.00 (अटठारह अरब उन्नीस करोड़ बाँसठ लाख सरसठ हजार आठ सौ अस्सी मात्र) केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 8336 सिविल निक्षेप लघुशीर्ष 102—राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप से राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ लघुशीर्ष 129—राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में स्थानान्तरित किया गया।

उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य निधि में अवशेष धनराशि अव्यपगतीय होगी और वर्षानुवर्ष आधार पर सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगा।

निधि से व्यय हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के अनुदान में लेखाशीर्ष 2406–04–103 के सम्बन्धित उपशीर्ष में बजट का प्रावधान तथा निधि (मुख्य शीर्ष 8121–129—राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि) से लेखा समायोजन हेतु अनुदान के लेखाशीर्ष 2406–04–904 के सम्बन्धित उपशीर्ष में ऋणात्मक डेबिट हेतु समतुल्य धनराशि का प्रावधान किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उ0प्र0 शासन द्वारा ₹0 19720.50 लाख की स्वीकृति इस मद में जारी की गयी थी जिसके सापेक्ष ₹0 6231.54 लाख के व्यय लेखाशीर्ष 2406–04–103 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पुस्तांकित किया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 में आय व्ययक में ₹0 27516.50 लाख धनराशि का प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष ₹0 25205.58 लाख के व्यय लेखाशीर्ष 2406–04–103 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पुस्तांकित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस मद में अवशेष राशि पर 3% वार्षिक दर पर ब्याज की राशि ₹0 316632670.00 (एकत्तीस करोड़ छाँचठ लाख बत्तीस हजार छ: सौ सत्तर मात्र) का आगणन कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक पी–121/36–बी–8/कैम्पस/2021–22 दिनांक 02 अगस्त 2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ से उक्त आगणित धनराशि को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 745/2-37-2 दिनांक 27.02.2023 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित उक्त 3% वार्षिक ब्याज दर को पुनः संशोधित करते हुए 5.5% किया गया जिस पर अवशेष ब्याज की राशि रु0 263860559.00 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित 3.4% वार्षिक की दर से आगणित ब्याज की धनराशि रु0 572045698.00 को राज्य प्रतिकरात्मक निधि मे जमा किये जाने हेतु प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 431/36-बी0-8(कैम्पा)/2022-23 दिनांक 25.01.2023 द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है इसके अतिरिक्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 228/36-बी0-8(कैम्पा)/2022-23 दिनांक 31.10.2022 द्वारा वर्ष 2021-22, कैम्पा मद हेतु ब्याज दर पर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी शासनादेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी(उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2022 द्वारा यह अवगत कराया कि CAF एकट-2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एड-हॉक कैम्पा भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पूर्व में बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी अवशेष धनराशि जो दिनांक 31.03.2021 तक व्यय नहीं की गई थी उसे भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15.07.2020 के क्रम में राज्य निधि में जमा करा दिया गया है। इस प्रकार उक्त तिथि के पश्चात अवशेष धनराशि मय ब्याज सहित रु 3645.75 लाख चालान के माध्यम से 25.11.2021 को राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि उ0प्र0 में जमा कर दी गयी। उक्त के उपरान्त राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि के अन्तर्गत कुल धनराशि रु0 18,56,08.43 लाख अन्तरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में रु0 60000 लाख धनराशि का प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष रु0 35895.28108 लाख के व्यय इस कार्यालय में पुस्तांकित किये गये। इस प्रकार 18560843164.00 आवंटन के सापेक्ष 6,73,32,41184.00 व्यय किये गये। एवं लेखाशीर्ष 8121-00-129 में धनराशि रु0 11827601980.00 अवशेष हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक अवशेष धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि अभी तक SCAF में जमा नहीं की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त कैम्पा निधि से व्यय की गयी धनराशि का इस कार्यालय में पुस्तांकित धनराशि से नियन्त्रक अधिकारी द्वारा मिलान नहीं कराया जा रहा है।

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष व्यय की गयी धनराशि का नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही मिलान कराया जाय। एवं अवशेष धनराशि पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना कर SCAF में जमा कराया जाय।

अनुलग्नक-1

वर्ष 2021–22 में अति विलम्ब से मासिक लेखे प्रेषित करने वाले प्रभागों की सूची

(माह की 10 तारीख अथवा उसके बाद प्राप्त हुए मासिक लेखे)

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	कोड	माह											
1	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग मेरठ	251	4/21		6/21						12/21			
2	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग मैनपुरी	062	4/21		6/21	7/21	8/21	9/21	10/21		12/21	1/22	2/22	3/22
3	वन सं०नि० कानपुर प्राणि उद्यान कानपुर	452		5/21	6/21	7/21		9/21	10/21			1/22	2/22	
4	प्र० वनाधिकारी गौतमबुद्ध नगर	258	4/21		6/21	7/21		9/21						
5	प्र० वनाधिकारी वाराणसी	421	4/21	5/21	6/21			9/21	10/21		12/21	1/22		
6	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग कानपुर	191	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21						
7	प्र० वनाधिकारी गोरखपुर	154	4/21		6/21	7/21		9/21			12/21	1/22	2/22	
8	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग देवरिया	153	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21				1/22		
9	प्र० वनाधिकारी हाथरस	067	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21			12/21	1/22		3/22
10	प्र० वनाधिकारी जौनपुर	423	4/21	5/21										
11	प्र० वनाधिकारी कुशीनगर	155	4/21		6/21			9/21		11/21	12/21			
12	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग अलीगढ़	065		5/21		7/21	8/21				12/21			
13	प्र० वनाधिकारी कासगंज	571	4/21	5/21		7/21	8/21	9/21	10/21	11/21		1/22	2/22	3/22
14	उप वन संरक्षक झांसी	073	4/21		6/21	7/21		9/21				1/22	2/22	
15	प्र०नि० मुजफ्फरनगर	255	4/21		6/21			9/21						
16	मु० वन सं० वर्धनिक वाराणसी	344	4/21					9/21	10/21				2/22	
17	मु० वन सं० अनुश्रवण एवं मुल्यांकन लखनऊ	C-23	4/21		6/21		8/21	9/21				1/22		3/22
18	मु० वन सं० प्रधान लखनऊ	C-02	4/21			7/21		9/21						
19	मु० वन सं० नोडल लखनऊ	C-40	4/21							11/21	12/21	1/22		3/22
20	मु० वन सं० मण्डल कानपुर	C-19	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21			12/21			
21	मु० वन सं० नियोजन लखनऊ	C-29	4/21			7/21				11/21		1/22		
22	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग सहारनपुर	254	4/21							11/21	12/21		2/22	3/22
23	अ०मु०वन सं० वृत्त आगरा	C-06	4/21	5/21				9/21	10/21		12/21			
24	प्र० मु० वन सं० लखनऊ	C-27	4/21								12/21			
25	प्र०नि० प्रशिक्षण एवं रिपोर्टिंग लखनऊ	C-39		5/21	6/21	7/21		9/21	10/21					
26	प्र०वनाधिकारी गोण्डा	374	4/21	5/21	6/21		8/21		10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22

27	साठवाठ बस्ती	151			6/21	7/21	8/21	9/21					2/22	
28	प्र०नि०सा०वा० मज	053	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21			12/21		2/22	
29	प्र०नि०सा०वा० आगरा	061		5/21	6/21	7/21		9/21			12/21	1/22	2/22	
30	प्र०नि०सा०वा० इटावा	192	4/21			7/21		9/21					2/22	
31	प्र०नि०सा०वा० शिवालिक सहारनपुर	257	4/21	5/21	6/21			9/21	10/21		12/21	1/22	2/22	
32	प्र० वनाधिकारी बहराइच	372	4/21	5/21	6/21			10/21	11/21					
33	मु० वन सं० प्रशिक्षण कानपुर	241	4/21							12/21				
34	प्र०नि० बाराबंकी	376	4/21										2/22	
35	वन सं० वाराणसी वृत्त वाराणसी	C-42	4/21	5/21				10/21			1/22			
36	मु० वन सं० अवध लखनऊ	041	4/21	5/21	6/21			9/21					2/22	
37	प्र० वनाधिकारी कौशाम्बी	014		5/21	6/21	7/21		9/21	10/21	11/21		1/22	2/22	
38	वन सं० सफारी इटावा	C-58	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21	10/21			1/22		
39	मु० वन सं० पश्चिमी कानपुर	C-47		5/21	6/21	7/21		10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22	
40	मु० वन सं० गोण्डा	C-52	4/21	5/21	6/21			10/21			1/22	2/22		
41	प्र० वनाधिकारी सर्वेक्षण लखनऊ	021					8/21		10/21		12/21	1/22		
42	अ०मु०वन सं० कानपुर	C-34	4/21	5/21	6/21			9/21	10/21		12/21		2/22	3/22
43	मु० वन सं० प्रशिक्षण सेल लखनऊ	C-38	4/21							11/21		1/22	2/22	
44	सरयू वृत्त अयोध्या	C-37	4/21	5/21				10/21					2/22	
45	मु० वन सं० मध्य क्षेत्र लखनऊ	C-10	4/21	5/21				9/21	10/21		12/21	1/22	2/22	
46	वन सं० वृत्त आजमगढ़	C-05	4/21		6/21			9/21			12/21	1/22		3/22
47	मु० वन सं० लखनऊ	C-45		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21					2/22	
48	मु० वन सं० गोरखपुर	156	4/21	5/21		7/21				11/21				
49	प्र०नि० हरदोई	045	4/21	5/21	6/21			10/21		12/21			2/22	
50	प्र० वनाधिकारी कानपुर देहात	194			6/21	7/21		10/21			1/22		3/22	
51	प्र० वनाधिकारी कैमूर मिर्जापुर	471	4/21	5/21	6/21		8/21		10/21			1/22	2/22	
52	प्र० वनाधिकारी अम्बेडकर नगर	373	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21	10/21	11/21	12/21			
53	सहेलवा जीव बलरामपुर	523		5/21	6/21	7/21	8/21			11/21		1/22	2/22	
54	प्र०नि० शाहजहाँपुर	083	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21	10/21	11/21	12/21		2/22	
55	प्र०नि०स०वा० बुलन्दशहर	253	4/21		6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	
56	प्र० वनाधिकारी अवध वृत्त लखनऊ	C-04		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
57	मु० वन सं० हमीरपुर	071			6/21	7/21	8/21			11/21			2/22	

58	प्र० वनाधिकारी श्रावस्ती	377	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21				12/21	1/22	2/22	
59	सा०वा० मुरादाबाद	221		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
60	सा०वा० रामपुर	223			6/21						12/21			3/22
61	सा०वा० फिरोजाबाद	066	4/21	5/21					10/21		12/21		2/22	
62	सा०वा० फतेहपुर	011			6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21		1/22	2/22	
63	प्र० वनाधिकारी चित्रकूट	077	4/21	5/21		7/21		9/21	10/21	11/21				
64	प्र०नि० सिद्धार्थनगर	152			6/21	7/21	8/21	9/21			12/21	1/22	2/22	
65	प्र०नि० सा०वा० कन्नौज	195		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21						
66	प्र० वनाधिकारी भदोही	415	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21		1/22	2/22	3/22
67	प्र० वनाधिकारी उन्नाव	043	4/21	5/21	6/21			9/21						
68	प्र० वनाधिकारी शामली	534	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
69	प्र० वनाधिकारी नजीबाबाद	222		5/21	6/21			9/21	10/21					
70	प्र०नि० सा०वा० मथुरा	063	4/21		6/21	7/21	8/21		10/21		12/21	1/22		3/22
71	प्र० वनाधिकारी हापुड़	259	4/21	5/21		7/21					12/21	1/22		
72	वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत	085	4/21	5/21	6/21						12/21	1/22		
73	प्र० वनाधिकारी खीरी	046			6/21	7/21	8/21	9/21	10/21			1/22	2/22	3/22
74	दुधवा टाइगर रिजर्व खीरी	047	4/21	5/21	6/21						12/21	1/22	2/22	
75	वन प्रभाग फर्रुखाबाद	193	4/21					9/21			12/21	1/22	2/22	
76	प्र०नि० सा०वा० एटा	064		5/21	6/21	7/21	8/21		10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
77	मु० वन सं० फील्ड डायरेक्टर दुधवा खीरी	C-11	4/21	5/21	6/21		8/21	9/21		11/21		1/22	2/22	
78	प्र०नि० सा०वा० बिजनौर	224		5/21	6/21	7/21		9/21	10/21				2/22	
79	वन सं० नि० वृत्त झांसी	C-07			6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
80	मु० वन सं०सा०वा० मिर्जापुर	411	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
81	वन सं० नि० वृत्त मुरादाबाद	C-22	4/21	5/21	6/21			9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
82	मु० वन सं० प्रचार-प्रसार लखनऊ	C-31	4/21								12/21	1/22		
83	प्र० वनाधिकारी सोहगीबरवा महराजगंज	521	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21			12/21	1/22		
84	वन सं० क्षेत्र वृत्त बरेली	C-08	4/21	5/21	6/21		8/21	9/21	10/21		12/21	1/22	2/22	3/22
85	प्र० वनाधिकारी ललितपुर	072	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21		10/21					
86	प्र० वनाधिकारी सोनभद्र	412		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	
87	प्र० नि० सा०वा० इलाहाबाद	013	4/21					9/21					2/22	
88	प्र० नि० सा०वा० बरेली	081	4/21	5/21							12/21			

89	प्र० नि० सा०वा० उरई	074	4/21	5/21		7/21	8/21	9/21			12/21	1/22	2/22	
90	पश्चिमी जोन बरेली	C-48	4/21	5/21							12/21		2/22	
91	प्र० वनाधिकारी वन्यजीव बांदा	075		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21		1/22	2/22	3/22
92	प्र० नि०सा०वा० प्रतापगढ़	012	4/21	5/21		7/21		9/21	10/21			1/22		
93	प्र० वनाधिकारी औरैया	196	4/21		6/21			9/21	10/21		12/21		2/22	
94	प्र०नि० सा०वा० संभल	226		5/21	6/21	7/21	8/21		10/21	11/21	12/21		2/22	3/22
95	प्र०नि० सा०वा० रेनूकट सोनभद्र	413	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21			12/21	1/22	2/22	3/22
96	प्र० वनाधिकारी वन्यजीव ओबरा	414	4/21	5/21	6/21	7/21						1/22		
97	कतरनियाघाट वन्यजीव बहराइच	114	4/21		6/21			9/21	10/21		12/21	1/22		3/22
98	प्र० वनाधिकारी अमरोहा	225		5/21	6/21	7/21		9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22
99	वन वर्धनी दक्षिणी प्रभाग, कानपुर	343	4/21	5/21	6/21				10/21		12/21	1/22		
100	क्षेत्रीय निदेशक सा०वा० मेरठ	C-25	4/21	5/21					10/21		12/21	1/22	2/22	
101	प्र०नि० सा०वा० आजमगढ़	051	4/21	5/21		7/21			10/21		12/21			
102	प्र० वनाधिकारी, गाजीपुर	422	4/21					9/21	10/21				2/22	3/22
103	प्र० वनाधिकारी, सन्त कबीर नगर	551		5/21	6/21	7/21		9/21	10/21			1/22	2/22	3/22
104	प्रभागीय निदेशक, टाईगर रिजर्व पीलीभीत	084		5/21					10/21		12/21	1/22	2/22	
105	मु०वन संरक्षक दक्षिण क्षेत्र प्रयागराज	C-13			6/21			9/21						
106	मु०वन संरक्षक वृत्त मीरजापुर	C-41	4/21	5/21	6/21			9/21	10/21		12/21	1/22	2/22	
107	कार्य योजना लखनऊ	C-32	4/21	5/21	6/21				10/21	11/21	12/21		2/22	
108	लुप्त प्राय लखनऊ	451	4/21	5/21	6/21			9/21		11/21			2/22	
109	राष्ट्रीय चम्बल आगरा	472		5/21										
110	राष्ट्रीय उद्यान पलिया खीरी	112	4/21	5/21	6/21	7/21		9/21	10/21		12/21	1/22	2/22	3/22
111	प्र० वनाधिकारी, बदायूँ	082	4/21	5/21				9/21	10/21		12/21			
112	प्र० वनाधिकारी, रायबरेली	042	4/21				8/21	9/21				1/22		
113	प्र० वनाधिकारी, बलिया	052	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21			12/21	1/22	2/22	3/22
114	प्र० वनाधिकारी, अयोध्या	371	4/21					9/21						
115	प्र० वनाधिकारी, गाजियाबाद	252	4/21		6/21									3/22
116	प्र० वनाधिकारी, सीतापुर	044	4/21			7/21					12/21			3/22
117	प्र० वनाधिकारी, सुल्तानपुर	375	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21					
118	प्र० वनाधिकारी, अमेठी	378	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21						

119	प्र० वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी	473		5/21		7/21				12/21	1/22	2/22	
120	प्र० वनाधिकारी, महोबा	076		5/21	6/21			10/21					
121	मु0वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी लखनऊ	C-35	4/21	5/21						12/21	1/22		
122	वन वार्धनिक साल क्षेत्र बरेली	342	4/21		6/21			9/21	10/21	11/21	12/21		2/22
123	मु0वन संरक्षक वृत्त गोरखपुर	C-15	4/21										
124	मु0वन संरक्षक वृत्त प्रयागराज	C-01	4/21	5/21	6/21		8/21			11/21		1/22	

अनुलग्नक-2

निम्नलिखित प्रभागों के मासिक लेखे 04 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं।

क्रम सं0	प्रभाग का नाम	प्रभागीय कोड / FRD CODE
1	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मैनपुरी	062
2	वन संरक्षक/निदेशक प्राणि उद्यान—कानपुर	452
3	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—गौतमबुद्धनगर	258
4	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—वाराणसी	421
5	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—कानपुर	191
6	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—गोरखपुर	154
7	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—देवरिया	153
8	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—हाथरस	067
9	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—कुशीनगर	155
10	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—अलीगढ़	065
11	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—कासगंज	571
12	उप वन संरक्षक वन प्रभाग—झांसी	073
13	मुख्य वन संरक्षक वर्धनिक विंध्य क्षेत्र—रामनगर	344
14	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन—लखनऊ	C 23
15	मुख्य वन संरक्षक नोडल—लखनऊ	C 40
16	मुख्य वन संरक्षक मण्डल—कानपुर	C 19
17	मुख्य वन संरक्षक नियोजन—लखनऊ	C 29
18	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—सहारनपुर	254
19	क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—आगरा	C 06
20	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण सूचना व रिपोर्टिंग प्रभाग—लखनऊ	C 39
21	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—गोण्डा	374
22	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—बस्ती	151
23	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मऊ	053
24	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—आगरा	061
25	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—इटावा	192

26	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी शिवालिक—सहारनपुर	257
27	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बहराईच	372
28	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त—वाराणसी	C 42
29	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध प्रभाग—लखनऊ	041
30	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—कौशाम्बी	014
31	वन संरक्षक सफारी—इटावा	C 58
32	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र—कानपुर	C 47
33	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) वृत्त—गोण्डा	C 52
34	प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेक्षण—लखनऊ	021
35	वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त—कानपुर	C 34
36	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण सेल—लखनऊ	C 38
37	वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक सरयू वृत्त—अयोध्या	C 37
38	वन संरक्षक मध्य क्षेत्र—लखनऊ	C 10
39	वन संरक्षक आजमगढ़ वृत्त—आजमगढ़	C 05
40	प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तरप्रदेश—लखनऊ	C 45
41	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—गोरखपुर	156
42	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—हरदोई	045
43	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—कानपुर देहात	194
44	प्रभागीय वनाधिकारी केमूर वन प्रभाग—मिर्जापुर	471
45	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—अम्बेडकरनगर	373
46	प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग—बलरामपुर	523
47	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—शाहजहाँपुर	083
48	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—बुलन्दशहर	253
49	मुख्य वन संरक्षक अवध वृत्त—लखनऊ	C 04
50	उप मुख्य वन संरक्षक प्रभाग—हमीरपुर	071
51	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—श्रावस्ती	377
52	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मुरादाबाद	221
53	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—फिरोजाबाद	066
54	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—फतेहपुर	011

55	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—चित्रकूट	077
56	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—सिद्धार्थनगर	152
57	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—कन्नौज	195
58	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—भदोही	415
59	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—उन्नाव	043
60	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—शामली	534
61	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—नजीबाबाद	222
62	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मथुरा	063
63	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—हापुड़	259
64	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग—पीलीभीत	085
65	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—खीरी	046
66	उप वन संरक्षक दक्षिण खीरी वन प्रभाग—लखीमपुर खीरी	047
67	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—फरुखाबाद	193
68	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग—एटा	064
69	मुख्य वन संरक्षक फील्ड डायरेक्टर दुधवा—खीरी	C 11
70	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—बिजनौर	224
71	वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0—झासी	C 07
72	उप वन संरक्षक मिर्जापुर वन प्रभाग—मिर्जापुर	411
73	मुख्य वन संरक्षक वृत्त—मुरादाबाद	C 22
74	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन प्रभाग—महराजगंज	521
75	वन संरक्षक बरेली सामाजिक वानिकी वृत्त—बरेली	C 08
76	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—ललितपुर	072
77	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सोनभद्र	412
78	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—उरई	074
79	मुख्य वन संरक्षक पश्चिम जोन—बरेली	C 48
80	प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग—बांदा	075
81	प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग—ओरैया	196
82	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—सम्मल	226
83	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रेनूकूट—सोनभद्र	413

84	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—ओबरा	414
85	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कतर्नियाघाट—बहराईच	114
86	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—अमरोहा	225
87	वन वर्धनी दक्षिणी प्रभाग—कानपुर	343
88	क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मेरठ	C 25
89	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—आजमगढ़	051
90	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—गाजीपुर	422
91	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सन्तकबीर नगर	551
92	प्रभागीय निदेशक टाईगर रिजर्व—पीलीभीत	084
93	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर वृत्त—मिर्जापुर	C 41
94	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना उ0प्र0—लखनऊ	C 32
95	उप वन संरक्षक लुप्त प्राय वन्य जीव विहार परियोजना—लखनऊ	451
96	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय उद्यान पलिया—खीरी	112
97	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बदायूँ	082
98	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—रायबरेली	042
99	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बलिया	052
100	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सीतापुर	044
101	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—सुल्तानपुर	375
102	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—अमेठी	378
103	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर—वाराणसी	473
104	मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी—लखनऊ	C 35
105	वन वर्धनिक साल क्षेत्र—बरेली	342
106	मुख्य वन संरक्षक वृत्त प्रभाग—प्रयागराज	C 01

वृत्त/प्रभाग के नाम जिनके द्वारा वर्ष 2021–22 के डी0सी0एल0 ऑँकडों का मिलान नहीं प्रेषित किया गया है—

क्रम सं0	प्रभाग का नाम	प्रभागीय कोड / FRD CODE
1	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन प्रभाग महाराजगंज	521
2	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग—लखनऊ	041
3	मुख्य वन संरक्षक अवध वृत्त—लखनऊ	C—04
4	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त—वाराणसी	C—42
5	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र—कानपुर	C—47
6	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पूर्वी वृत्त—गोण्डा	C—52
7	मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी— लखनऊ	C—40
8	मुख्य वन संरक्षक नियोजन— लखनऊ	C—29
9	मुख्य वन संरक्षक वृत्त—आगरा	C—06
10	प्रधान मुख्य वन संरक्षक—लखनऊ	C—27
11	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग—मैनपुरी	062
12	मुख्य वन संरक्षक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान—कानपुर	241
13	प्रभागीय वनाधिकारी वन संसाधन सर्वेक्षण—लखनऊ	021
14	प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी—मुरादाबाद	221
15	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी—एटा	064
16	मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त—झांसी	C—07
17	मुख्य वन संरक्षक वृत्त—मुरादाबाद	C—22
18	मुख्य वन संरक्षक वृत्त क्षेत्र—बरेली	C—08
19	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन—बरेली	C—48
20	मुख्य वन संरक्षक वृत्त—मिर्जापुर	C—41
21	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना—लखनऊ	C—32
22	मुख्य वन संरक्षक राष्ट्रीय उद्यान पलिया—खीरी	112
23	प्रभागीय वनाधिकारी—रायबरेली	042
24	मुख्य वन संरक्षक वृत्त—प्रयागराज	C—01

अनुलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत व्यय/प्राप्ति, किन्तु मिलान न करायी गयी धनराशि –

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखाशीर्ष	नियन्त्रक अधिकारी का नाम	धनराशि
1	60	2406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	5813240363.00
2	60	2407	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	50506257.00
3	60	4406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	5409185641.00
4	81	2406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	14000.00
5	81	4406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	6634676.00
6	83	2406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	503828.00
7	83	4406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	177264039.00
8	—	0406	प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	3163495752.00
			कुल योग	14620844556.00

अनुलग्नक-5

ऐसे प्रभाग जिनके लेखों में 15 अंकीय कोड (वर्गीकरण) एवं विवरण त्रुटिपूर्ण दर्शाये गये हैं—

क्रम सं0	प्रभाग का नाम	प्रभागीय कोड / FRD CODE
1	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन प्रभाग महाराजगंज	521
2	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग अवध—लखनऊ	041
3	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग—मैनपुरी	062
4	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—प्रयागराज	013
5	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—रायबरेली	042
6	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—फरुखाबाद	193
7	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	224
8	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बुलन्दशहर	253
9	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सहारनपुर	254
10	प्रभागीय वनाधिकरी वन प्रभाग—भदोही	415
11	प्रभागीय वनाधिकरी वन प्रभाग—शामली	534
12	प्रभागीय वनाधिकारी सहेलवा वन जीव प्रभाग—बलरामपुर	523

मासिक रोकड़ लेखों में पायी गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ—

1	प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ, (उ०प्र०)	<p>1—वर्गीकृत सार में दिये विवरणों के अनुसार प्रमाणक संलग्न नहीं है।</p> <p>2—वर्गीकृत सार में सारांश का विवरण अंकित नहीं है।</p> <p>3—विभिन्न ए०जी० वाउचरों जैसे कि माह ०९/२०२१ के मासिक लेखे के वाउचर संख्या ८३ से ८९, ९९ से १०४, १२३ से १२६, १३०, १३१, १३४, १४१ से १४३ पर चस्पा रसीद कैश मेमो है, उक्त वाउचर नहीं प्रतीत हो रहे हैं उक्त वाउचरों पर सम्बन्धित फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन एवं GST नम्बर अंकित नहीं है।</p> <p>4—संलग्नक चस्पा रसीद को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।</p> <p>5—श्रमिक द्वारा कराये गये कार्य का मास्टर रोल संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>6—लेखाशीर्ष ८७८२—००—१०३—०१ के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं पाया गया है।</p> <p>7—कतिपय माहों जैसे कि माह ०३/२०२० के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है।</p>
2	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)	<p>1—व्ययों के सम्मुख कोड (वर्गीकरण) अंकित नहीं हैं।</p> <p>2—मासिक लेखा तैयार करते समय क्रोडिट कॉलम में लेखाशीर्ष ८७८२—००—१०३—०१ के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं किया गया है।</p>
3	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अमेठी, (उ०प्र०)	<p>1—लेखाशीर्ष ८७८२—००—१०३—०१ के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं पाया गया है।</p> <p>2—कतिपय माहों जैसे कि माह ०३/२०२० के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है।</p>
4	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर (उ०प्र०)	<p>1—लेखाशीर्ष ८७८२—००—१०३—०१ के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>2—कतिपय माहों जैसे कि माह ०३/२०२० के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है।</p>

5	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी अमरोहा , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0–6, ई0–11, ई0–13, इत्यादि संलग्न न किया जाना । 2—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना । 3— लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया ।
6	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गोरखपुर, (उ0प्र0)	1—लेखाशीर्ष 8782–00–103–01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं किया गया है । 2—कतिपय माहों जैसे कि माह 03 / 2020 के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है ।
7	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, कौशाम्बी, (उ0प्र0)	1—लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया है । 2—लेखाशीर्ष 8782–00–103–01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं पाया गया है । 3—कतिपय माहों जैसे कि माह 03 / 2020 के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है ।
8	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ऊरई जालौन , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0–6, ई0–11, ई0–13, इत्यादि संलग्न न किया जाना । 2—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना । 3— लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया ।
9	प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन प्रभाग, बलरामपुर (उ0प्र0)	1—लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया है । 2—लेखाशीर्ष 8782–00–103–01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं पाया गया है । 3—कतिपय माहों जैसे कि माह 03 / 2020 के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है ।
10	प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन प्रभाग, महराजगंज (उ0प्र0)	1—लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया है । 2—लेखाशीर्ष 8782–00–103–01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं पाया गया है । 3—कतिपय माहों जैसे कि माह 03 / 2020 के सापेक्ष अभी तक समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) प्रेषित नहीं किया गया है ।
11	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, वाराणसी (उ0प्र0)	1—लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया है । 2—लेखाशीर्ष 8782–00–103–01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं पाया गया है ।

12	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती (उ0प्र0)	1—लेखाशीर्ष 8782-00-103-01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं किया गया है।
13	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना लखनऊ , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0-6, ई0-11, ई0-13, इत्यादि संलग्न न किया जाना । 2—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना । 3— लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया ।
14	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के डेबिट तथा क्रेडिट में लेखाशीर्ष दर्ज नहीं किये जा रहे हैं ।
15	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी मुरादाबाद , (उ0प्र0)	1—लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया । 2—लेखाशीर्ष 8782-00-103-01 के अन्तर्गत रोकड़ लेखे में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष साक्ष्य स्वरूप चालान संलग्न नहीं किया गया है। 3—मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6, ई-11, ई-13, ई-23, इत्यादि संलग्न नहीं हैं ।
16	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी रामपुर , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0-6, ई0-11, ई0-13, इत्यादि संलग्न न किया जाना । 2—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना । 3— लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया ।
17	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग गोण्डा , (उ0प्र0)	1—लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया । 2—उपस्थिति प्रमाणित कराये बिना ही मजदूरी का भुगतान किया गया । 3—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना ।
18	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र । , (उ0प्र0)	1—मजदूरों को किये गये भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल प्रेषित न किया जाना एवं भुगतान सम्बन्धी प्रमाणकों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान इत्यादि का न होना । 2—तिथिवार वाउचर के स्थान पर समेकित वाउचर प्रेषित किया गया ।

19	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी पीलीभीत , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0–6, ई0–11, ई0–13, इत्यादि संलग्न न किया जाना । 2—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना । 3— लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया ।
20	प्रभागीय वनाधिकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत । , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0–6, ई0–11, ई0–13, इत्यादि संलग्न न किया जाना ।
21	प्रभागीय वनाधिकारी वन संसाधन सर्वेक्षण लखनऊ । , (उ0प्र0)	1—कैश एकाउन्ट के साथ सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कि ई0–6, ई0–11, ई0–13, इत्यादि संलग्न न किया जाना । 2—समेकित कोषागार प्राप्ति सी0टी0आर0 नियमित अन्तराल पर प्रेषित नहीं किया जाना । 3— लेखा विलम्ब से प्राप्त कराया गया ।

निम्नलिखित प्रभागों के 8443–00–109 माह 03 / 2022 में अन्तिम अवशेष धनराशि ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :—

क्रम सं०	प्रभागों के नाम	प्रभागीय कोड / FRD CODE	अन्तिम अवशेष (रु०)
1	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—फिरोजाबाद	066	(-) 5104394.00
2	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—महोबा	076	(-) 24534261.00
3	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—चित्रकूट	077	(-) 16997291.00
4	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन प्रभाग—बहराइच	114	(-) 3537861.00
5	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—कन्नौज	195	(-) 380379.00
6	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग— बिजनौर	224	(-) 2250643.00
7	प्रभागीय वनाधिकारी एफ०टी०आई० जूही कानपुर	241	(-) 2284873.00
8	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—ओबरा	414	(-) 513555.00
9	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—जौनपुर	423	(-) 26178598.00
10	उपवन संरक्षक लुप्त प्राय वन्यजीव बिहार परियोजना—लखनऊ	451	(-) 1775453.00
11	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सन्तकबीर नगर	551	(-) 343462.00
12	वन संरक्षक बरेली सामान्य वानिकी वृत्त—बरेली	C 08	(-) 7000.00
13	मुख्य वन संरक्षक वृत्त—गोरखपुर	C 15	(-) 2198374.00
14	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन—लखनऊ	C 23	(-) 2183825.00
15	मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश—लखनऊ	C 27	(-) 599921.00
16	मुख्य वन संरक्षक नोडल—लखनऊ	C 40	(-) 2194495.00
17	प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तरप्रदेश—लखनऊ	C 45	(-) 26000.00
18	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र—कानपुर	C 47	(-) 233000.00
	योग		(-) 91343385.00

निम्नलिखित प्रभागों के 8550–00–101 में माह 03 / 2022 के अन्तिम अवशेष धनराशि ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	प्रभागीय कोड / FRD CODE	प्रभाग का नाम	धनराशि
1	011	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—फतेहपुर	(-) 781737.00
2	012	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—प्रतापगढ़	(-) 36316.00
3	013	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—इलाहाबाद	(-) 2713376.71
4	014	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—कौशाम्बी	(-) 569992.00
5	041	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध प्रभाग—लखनऊ	(-) 22331544.00
6	043	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—उन्नाव	(-) 0.51
7	047	उपवन संरक्षक दक्षिण खीरी वन प्रभाग—लखीमपुर खीरी	(-) 717735.00
8	052	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बलिया	(-) 4511276.85
9	053	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मऊ	(-) 7109328.00
10	061	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—आगरा	(-) 2402223.58
11	063	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—मथुरा	(-) 7789561.00
12	065	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—अलीगढ़	(-) 3095648.14
13	075	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बांदा	(-) 46408396.36
14	076	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—महोबा	(-) 154711683.70
15	077	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—चित्रकूट	(-) 50624314.54
16	081	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—बरेली	(-) 3753029.00
17	082	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—बदायूँ	(-) 109144.00
18	114	प्रभागीय वनाधिकारी कर्तरिया घाट वन प्रभाग—बहराइच	(-) 5622806.68
19	191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—कानपुर	(-) 212666.29
20	194	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—कानपुर देहात	(-) 104998.67
21	222	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—नजीबाबाद	(-) 1936802.00
22	223	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—रामपुर	(-) 4060538.55
23	224	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—बिजनौर	(-) 93644.00
24	371	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—अयोध्या	(-) 1.36
25	374	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—गोण्डा	(-) 64141.33
26	375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—सुल्तानपुर	(-) 333393.44

27	377	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—श्रावस्ती	(-) 6153470.00
28	412	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सोनभद्र	(-) 10120096.64
29	414	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग—सोनभद्र	(-) 3897833.35
30	423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग—जौनपुर	(-) 1069750.00
31	551	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग—सन्तकबीरनगर	(-) 9284432.00
32	C 08	वन संरक्षक बरेली सामाजिक वानिकी वृत्त प्रभाग—बरेली	(-) 312116.00
33	C 22	मुख्य वन संरक्षक वृत्त प्रभाग—मुरादाबाद	(-) 19860.46
34	C 23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन—लखनऊ	(-) 59869.92
35	C 25	वन संरक्षण क्षेत्रीय निदेशक—मेरठ	(-) 19982.00
36	C 34	वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त प्रभाग—कानपुर	(-) 30306.50
37	C 37	वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सरयू वृत्त—अयोध्या	(-) 12000.00
38	C 40	मुख्य वन संरक्षक नोडल—लखनऊ	(-) 940.00
39	C 42	मुख्य वन संरक्षक वाराणसी वृत्त—वाराणसी	(-) 24.51
40	C 52	मुख्य वन संरक्षक पूर्वी वृत्त प्रभाग—गोण्डा	(-) 42228.00

31.03.2022 तक अन्तिम भुगतान प्रकरण के ऋणात्मक धनराशि की सूची –

क्रम संख्या	नाम	लेखा संख्या	ऋणात्मक धनराशि	अन्तिम कार्यालय का नाम	ऋणात्मक धनराशि आने का कारण	कृत कार्यवाही
1	के०सी० भटनागर	एफ०य०० 2160	26320	प्र०नि०सा०वा०, बुलन्दशहर	वर्ष 1978–79 में प्रारम्भिक अवशेष रु 15290 के स्थान पर रु० 17756 लिया गया तथा पासबुक में वर्ष 1985–86 में रु० 12000 का आहरण नहीं घटाया गया।	दिनांक 5.3.1998, 03.11.2017 एवं 05.01. 2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
2	रामानन्द त्यागी	एफ०य०० 2895	6455	प्र० नि०सा०वा०, गाजियाबाद	माह 2/78 में रुपये 5000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 24.3.1993 , 03.11.2017 एवं 29.12. 2021 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
3	स्व० गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	एफ०य०० 2916	43717	प्र०वनाधिकारी, हरदोई	90 प्रतिशत का भुगतान विभाग द्वारा वर्ष 1987–88 में रु० 31000 का आहरण घटाये बिना कर दिया गया।	दिनांक 04.7.1994 , 03.11.2017 एवं 05.01. 2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
4	बंश बहादुर सिंह	एफ०य०० 3035	24043	प्र०वनाधिकारी, प्रतापगढ़	माह 3/86 में रु० 10000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 29.2.1996 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
5	उमा शंकर लाल श्रीवास्तव	एफ०य०० 3096	5006	प्र०वनाधिकारी, हरदोई	90 प्रतिशत का भुगतान इस कार्यालय द्वारा जारी की गयी वर्ष 88–89 की लेखापर्ची के आधार पर कर दिया गया। वर्ष 88–89 में रुपये 9000 का आहरण तथा वर्ष 84–85 में रु० 2500 का आहरण लुप्त था।	दिनांक 05.07.1994, 03.11.2017 एवं 06.01. 2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
6	स्व० आगा मोहम्मद नाजिम	एफ०य०० 3560	3299	प्र०वनाधिकारी, उत्तरी गोंडा	वर्ष 1977–78 में रुपये 1500 तथा वर्ष 1985–86 में रुपये 2000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 27.3.1993 , 03.11.2017 एवं 29.12. 2021 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।

7	प्रहलाद सिंह	एफ0यू0 3562	3267	प्र0 वनाधिकारी, दक्षिणी गोरखपुर	माह 8 / 1974 में रूपये 1000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 30.11.1992 से दिनांक 10.04.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये। कोर्ट केस
8	सत्य नारायण सिंह	एफ0यू0 4149	13258	प्र0 वनाधिकारी, ओबरा	वर्ष 78–79 में रूपये 1000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 22.4.1991 , 03.11.2017 एवं 06.01. 2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
9	प्रेम नारायण तिवारी	एफ0यू0 4314	2382	प्र0 नि0 सा0 वा0 कानपुर	वर्ष 1985–86 में प्रा0 अवशेष रूपये 7418 के स्थान पर 10369 लेते हुए 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया।	दिनांक 10.07.1991 , 03.11.2017 एवं 05.01. 2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
10	ओम प्रकाश	एफ0यू0 6459	16854	प्र0 नि0 सा0 वा0 मथुरा	अभिदाता का विभाग द्वारा माह 04 / 1988 में रु0 9898.00 के रूप में 90% धनराशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रु0 3744.00 का आहरण नहीं अंकित किया गया।	
11	रघुवीर सिंह	एफ0यू0 7167	14092	प्र0 नि0 सा0 वा0मुरादाबाद	वर्ष 1981–82 में पासबुक में अन्तिम अवशेष 1036 था किन्तु रूपये 3000 का आहरण आहरित करने के उपरान्त 90 प्रतिशत में अधिक भुगतान कर दिया गया।	दिनांक 05.01.1994 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
12	वी0सी0 गुजराल	एफ0यू0 7173	7084	प्र0वनाधिकारी, झांसी	इस कार्यालय में रु0 1500 का स्थायी अग्रिमेंट स्वीकृत आदेश सं0 4383 (1)–4 (2) दिनांक 30.01.76 में लुप्त होने के कारण ऋणात्मक अवशेष उत्पन्न हुआ।	
13	गोपाल त्रिपाठी	एफ0यू0 7625	7198	प्र0वनाधिकारी, रेनुकूट	पासबुक में वार्षिक लेखाबन्दी में विभाग द्वारा बढ़ाकर धनराशि अंकित करने के कारण भुगतान हुआ है।	

14	स्व० ए०ए०सिंह	एफ०य० 7629	7312	प्र०वनाधिकारी, सोनभद्र	विभाग द्वारा अभिदाता को रु० 13000.00 का आहरण स्वीकृत किया गया किन्तु अभिदाता के खाते में इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण ऋणात्मक अवशेष उत्पन्न हुआ।	
15	मो० नजीम	एफ०य० 8817	13564	प्र०वनाधिकारी, पूर्वी बहराइच	दिनांक 12.03.84 को स्वीकृत रूपये 6350 के आहरण को घटाने के बाद पासबुक में ऋणात्मक धनराशि आ गयी।	दिनांक 23.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
16	राम सिंह जनम	एफ०य० 9106	4289	प्र०वनाधिकारी, ओबरा	वर्ष 81–82 में रूपये 2000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 22.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये
17	राम सनेही	एफ०य० 12552	7532	प्र० नि० सा० वा० मथुरा	माह 5 / 1995 में रूपये 42345 के स्थान पर रूपये 48939 का 90 प्रतिशत के रूप में भुगतान कर दिया गया।	दिनांक 29.5.1995 , 03.11.2017 एवं 06.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
18	कुंज लाल बिहारी	एफ०य० 14515	12175	प्र०वनाधिकारी, रेनुकूट	माह 9 / 1997 में उपलब्ध धनराशि रूपये 70967 के स्थान पर रूपये 83142 का भुगतान 90 प्रतिशत के रूप में कर दिया गया।	दिनांक 17.07.2001 , 03.11.2017 एवं 29.12.2021 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
19	राम हरख	एफ०य० 11435	62174	एन०सी०एस० पी० आगरा	90 प्रतिशत का भुगतान बिना मिलान के कर दिया गया तथा वर्ष 1988–89 में रूपये 3000 का आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया।	दिनांक 20.8.2014 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
योग			280021			

अनुलग्नक-10

वन विभाग का वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 का व्यय निम्न प्रकार है—

अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	2016-17			2017-18		
		बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)
10	2406 02 112	322259000.00	318632821.00	(-) 3626179.00	361049000.00	361862076.01	(+) 813076.01
	4406 02 112	159020000.00	156075000.00	(-) 2945000.00	36732000.00	36732000.00	0.00
60	2406 01 001	6306503000.00	4976587016.00	(-) 1329915984.00	7225924000.00	5643497385.04	(-)1582426614.96
	2406 01 070	18500000.00	18499997.00	(-) 3.00	18500000.00	9130700.00	(-) 9369300.00
	2406 01 101	5300000.00	5300000.00	0.00	5300000.00	4500971.00	(-) 799029.00
	2406 01 102	800000.00	799892.00	(-) 108.00	800000.00	1659323.00	(+) 859323.00
	2406 01 105	6000000.00	5999434.00	(-) 566.00	1000000.00	1000007.00	(+) 7.00
	2406 01 800	15739000.00	14192303.00	(-) 1546697.00	16501000.00	12077809.00	(-) 4423191.00
	2406 02 110	0.00	0.00	0.00	142692000.00	148684946.00	(+) 5992946.00
	2406 02 111	0.00	0.00	0.00	60000000.00	70000000.00	(+) 10000000.00
	2407 60 800	69381000.00	50816585.00	(-) 18564415.00	77589000.00	51579697.00	(-) 26009303.00
	4406 01 101	3500000.00	3500038.00	(+) 38.00	3500000.00	3465249.00	(-) 34751.00
	4406 01 102	3655168000.00	3447834945.00	(-) 207333055.00	3217548000.00	1564383585.30	(-)1653164414.70
	4406 01 800	600951000.00	445744021.00	(-) 155206979.00	106665000.00	25891521.00	(-) 80773479.00
	4406 02 110	2737781000.00	2833436552.00	(+) 95655552.00	108813000.00	72523945.00	(-) 36289055.00
	4406 02 111	179293000.00	203682000.00	(+) 24389000.00	65310000.00	506476000.00	(-) 441166000.00
81	4406 01 796	5643000.00	5643000.00	0.00	5643000.00	5643000.00	0.00
	2406 01 796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	4406 01 789	183360000.00	178110824.00	(-) 5249176.00	155156000.00	152687260.00	(-) 2468740.00
	योग	14269198000.00	12664854428.00	(-)1604343572.00	11608722000.00	8671795474.35	(-)2936926525.65

		2018-19			2019-20		
अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)
10	2406 02 112	398079000.00	388887750.00	(-)9191250.00	477714000.00	436277655.00	(-)41436345.00
	4406 02 112	9020000.00	3620000.00	(-)5400000.00	23735000.00	23735000.00	0.00
60	2406 01 001	7592175000.00	5702396165.00	(-)1889778835.00	8124506000.00	5836038251.00	(-)2288467749.00
	2406 01 070	10000000.00	9806780.00	(-)193220.00	10000000.00	9998910.00	1090.00
	2406 01 101	4500000.00	4889597.00	(+)389597.00	4500000.00	4500000.00	0.00
	2406 01 102	15500000.00	4836296.00	(-)10663704.00	126361000.00	4852658.00	(-)121508342.00
	2406 01 105	1000000.00	982172.00	(-)17828.00	1000000.00	1000000.00	0.00
	2406 01 800	18649000.00	15596470.00	(-)3052530.00	23617000.00	19831306.00	(-)3785694.00
	2406 02 110	139232000.00	211554650.00	(+)72322650.00	274765000.00	256676667.00	(-)18088333.00
	2406 02 111	70000000.00	70000000.00	0.00	71000000.00	83500000.00	(+)12500000.00
	2406 04 103	0.00	0.00	0.00	2000000000.00	623154301.00	(-)1376845699.00
	2407 60 800	80440000.00	51527856.01	(-)28912143.09	86580000.00	46939784.00	(-)39640216.00
	4406 01 101	3500000.00	2681549	(-)818451.00	3500000.00	3499699.00	(-)301.00
	4406 01 102	1657496000.00	1622830991.00	(-)34665009.00	7185587000.00	5742105427.00	(-)1443481573.00
	4406 01 800	53721000.00	22547000	(-)31174000.00	44697000.00	30536336.00	(-)14160664.00
	4406 02 110	134332000.00	120610580.00	(-)13721420.00	333811000.00	171893636.00	(-)161917364.00
	4406 02 111	255869000.00	255045000.00	(-)824000.00	1004000000.00	1004000000.00	0.00
81	4406 01 796	5975000.00	5795908.00	(-)179092.00	17432000.00	6109030.00	(-)11322970.00
	2406 01 796	268000	44800.00	(-)223200.00	8668000.00	8000.00	(-)8660000.00
83	4406 01 789	164267000.00	154386127.00	(-) 9880873.00	554989000.00	164807961.00	(-)390181039.00
	2406 01 789	0.00	0.00	0.00	24805000.00	382705.00	(-)24422295.00
	योग	10614023000.00	8648039691.01	(-) 1965983308.99	20401267000.00	14469847326.00	(-)5931419674.00

		2020-21			2021-22		
अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)
10	240602112	540875000.00	470155748.00	(-)70719252.00	560231000.00	487571848.00	(-)72659152.00
	440602112	9020000.00	9000000.00	(-)20000.00	9020000.00	0.00	(-)9020000.00
60	240601001	8377441000.00	5221040545.00	(-)3156400455.00	8635559000.00	5420482719.00	(-)3215076281.00
	2406 01070	10000000.00	9973674.00	(-)26326.00	10000000.00	9868126.00	(-)131874.00
	2406 01101	16772000.00	17589829.00	(+) 817829.00	4500000.00	4499970.00	(-)30.00
	2406 01102	20098000.00	5759581.00	(-)14338419.00	16476000.00	5459473.00	(-)11016527.00
	240601105	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	999344.00	(-)656.00
	240601800	25199000.00	22079190.00	(-)3119810.00	36880000.00	7738007.00	(-)29141993.00
	240602110	392982000.00	256996831.00	(-)135985169.00	465301000.00	221621631.00	(-)243679369.00
	240602111	71200000.00	105613987.00	(+) 34413987.00	95200000.00	143057765.00	(+) 47857765.00
	240604103	2751650000.00	2491135117.00	(-)260514883.00	6000000000.00	3589041436.00	(-)2410958564.00
	240760800	90120000.00	49699019.00	(-)40420981.00	93235000.00	50506257.00	(-)42728743.00
	440601101	3500000.00	3499989.00	(-)11.00	3500000.00	3329958.00	(-)170042.00
	440601102	3834869000.00	3760479121.00	(-)74389879.00	5281608000.00	5335571183.00	(+) 53963183.00
	440601800	45970000.00	9999375.00	(-)35970625.00	29025000.00	25000000.00	(-)4025000.00
	440602110	382696000.00	78544573.00	(-)304151427.00	360752000.00	32595500.00	(-)328156500.00
	440602111	404000000.00	283063264.00	(-)120936736.00	12689000.00	12689000.00	0.00
81	440601796	7036000.00	5801566.00	(-)1234434.00	8651000.00	6634676.00	(-)2016324.00
	240601796	88000.00	6954.00	(-)81046.00	180000.00	14000.00	(-)166000.00
83	440601789	277436000.00	88337258.00	(-)189098742.00	198452000.00	177264039.00	(-)21187961.00
	240601789	2450000.00	265086.00	(-)2184914.00	1961000.00	503828.00	(-)1457172.00
	योग	17264402000.00	12890040707.00	(-)4374361293.00	21824220000.00	15534448760.00	(-)6289771240.00